

कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता
परिपत्रांक /अधि-2/ओ0टी0एस0/वैद्यनाथन/2013-14

उत्तर प्रदेश।
लखनऊ:दिनांक जुलाई, 2014

- 1- समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक सहकारिता, उ0प्र0।
- 2- समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी, जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0

विषय:- दिनांक 01.04.2007 के पूर्व वितरित एवं बकाया पड़े फसली एवं अन्य ऋणों की वसूली हेतु प्रभावी एकमुश्त समझौता योजना की कार्यावधि विस्तारित करने के सम्बन्ध में उपर्युक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के परिपत्र संख्या-सी-62/अधि-2/ओ0टी0एस0/वैद्यनाथन/2013-14 दिनांक 28.02.2014 द्वारा पूर्व निर्धारित शर्तों के अन्तर्गत ओ0टी0एस0 योजना दिनांक 30.06.2014 तक प्रभावी की गयी थी।

शासनादेश संख्या 904/49-1-2013-8(55)/13 दिनांक 15.07.2014 द्वारा उक्त योजना की अवधि दिनांक 30.9.2014 तक विस्तारित किये जाने पर स्वीकृति प्रदान की गयी है।

अतः शासन द्वारा प्रदान की गयी स्वीकृति के क्रम में उपर्युक्त विषयक इस कार्यालय के परिपत्र संख्या सी-28/अधि0-2-ओ0टी0एस0/2013-14 दिनांक 15.7.2013, परिपत्र संख्या सी-43/अधि0-2-ओ0टी0एस0/2013-14 दिनांक 10.10.2013, परिपत्र संख्या सी-35/अधि0-2-ओ0टी0एस0/2013-14 दिनांक 01.01.2014 तथा परिपत्र संख्या सी-62/अधि0-2-ओ0टी0एस0/2013-14 दिनांक 28.02.2014 द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुरूप वर्तमान में प्रभावी एकमुश्त समझौता योजना की कार्यावधि दिनांक 30.09.2014 तक विस्तारित करते हुए निर्देशित किया जाता है कि इसका व्यापक प्रचार-प्रसार कराते हुए पैक्स, जिला सहकारी बैंक एवं उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक के एन0पी0ए0 में अपेक्षित सुधार लाने का कष्ट करें।

(देबाशीष पण्डा)
आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0

लखनऊ

पत्रांक सी-84 /अधि-2/ओ0टी0एस0/वैद्यनाथन/2013-14 लखनऊ: दिनांकित।
प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- समस्त उपायुक्त एवं उप निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।
- 3- समस्त अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक सहकारिता।
- 4- वित्त नियंत्रक, सहकारिता, उ0प्र0, लखनऊ।
- 5- अपर आयुक्त एवं अपर निबन्धक (बैंकिंग), सहकारिता, उ0प्र0।
- 6- प्रमुख सचिव, सहकारिता उ0प्र0 शासन।
- 7- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 कोआपरेटिव यूनियन लि0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि वह योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें।

आयुक्त एवं निबन्धक
सहकारिता, उ0प्र0
लखनऊ